VCSG Uttarakhand University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal

Minutes of 15th Academic Council Meeting

Date: 15th November, 2021 **Time: 11.00 a.m.**
Venue: Research & Extension Centre, Selaqui

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की विद्धत परिषद् की 15वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को शोध.एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के मा. कुलपति, प्रो. ए.के. कर्नाटक द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. Prof. A.K. Karnatak, Vice Chancellor	Chairman
2. Prof. P.D. Juyal	External Member
3. Prof. V.P. Khanduri, Dean, COF Ranichauri	Member
4. Prof. C. Tiwari, DE/Director Personnel	Member
5. Dr. S.P. Sati, Associate Professor	Member
6. Dr. Arvind Bijalwan, Director Academic	Member
7. Dr. Amol Vashisht, Associate Director Research	Member
8. Dr K.C. Singh, Asst. Professor, COH	Member
9. Dr Manju Assist Professor, COH	Member
10. Shri Vimal P Jugran, Dr Comptroller	FC Representative/ Invited member
11. Er. Tejas Bhosale, A.R. COH Ranichauri	Invited Member
12. Prof. B.P. Nautiyal, Dean, COH / Registrar	Member Secretary

<u>Agenda UUHF/AC/ 15/01:</u> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनाकं 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने हतु प्रस्ताव।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 **(संलग्न)** के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जूलाई, 2018 को **संलग्न परिशिष्ट–'क'** के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथे उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार विद्धत परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम–2018 के क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड

Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal-246123

शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्य स्तर पर किये गये संशोधनों, जोकि परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित हैं, पर सम्यक विचारोपरांत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के बिन्दु संख्या 8(क) (सात) के बाद परिशिष्ट–'क' को सम्मिलित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई।

परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित अन्य संशोधन हेतु संस्तुति प्रदान की गई है, वह विश्वविद्यालय परिनियमावली–2014 के बिन्दु संख्या 8(क) (सात) के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं 8(ख), 9(क), 9(ख), 10, 11, 12 से सम्बन्धित संशोधन भी समाहित किये गये हैं। अतः उक्तानुसार इन बिन्दुओं को भी परिशिष्ट में उल्लखित प्राविधानों की सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

इसी प्रकार विद्वत परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्मिक सेवानियमावली–2016 के भाग 3 – भर्ती, भाग 4 – अर्हतायें, भाग 5 – भर्ती प्रक्रिया, भाग 6 – नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता, भाग 7 – वेतन इत्यादि से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 05 से 18 (3) तक उल्लखित नियमों को भी परिशिष्ट में दिये गये संशोधित नियमों / विनियमों की सीमा तक संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

परिशिष्ट–'क'

क्र0 स0	राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत / संशोधित नियम / विनियम			विश्वविद्यालय परिनियमावली के क्रमांक बिन्दु संख्या में संशोधित एवं अंगीकृत किया जाना है।
	नियम	यू0जी0सी0 अधिनियम, 2018	संशोधित नियम / विनियम	
1	नियम–10	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कार्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से सम्बन्धित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण (व्यापित)	तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(1) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
2	नियम–2	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षिता आयु – 2.1 रिक्त पदों की उपलब्धता और स्वास्थ्य के अध्यधीन सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और वरिष्ठ आचार्य जैसे शिक्षकों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में यथा लागू अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त भी संविदा आधार पर सत्तर वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है।)	उप–नियम–2.0 व 2.2 को यथावत् अंगीकृत किया जाता है। पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी उप–नियम–2.1 राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जाता है।	8(क)(सात)**(ब) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
3	नियम–3	नियुक्ति एवं अर्हतायें उप–नियम–3.1 से 3.12 उप नियम–3.11 शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावे हेतु एमफिल और / अथवा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण / अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती / पदोन्नति के उद्देश्य के लिए	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के उप–नियम–3.1 से 3.10 तथा 3.12 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। उप–नियम–3.11 में अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।	8(क)(एक)**(अ) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।** 8(क)(एक)**(ब) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।** **12(तीन)(अ)(क)(अ) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**

Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Forestry
Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)

		शिक्षण अनुभव माना जाएगा। कुल संकाय संख्या (चिकित्सा / मातृत्व छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों के अलावा) के बीस प्रतिशत तक नियमित आधार पर कार्यरत संकाय सदस्यों को अपनी संस्थाओं में पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।)		
4	नियम–4	सीधी भर्ती / अर्हतायें उप–नियम–4.1	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य / आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड) एवं उप प्राचार्य की अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(2) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
5	नियम–4	उप–नियम–4.5	पेशे से जुड़े रोजगरोपरक के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य) के लिए अर्हता अनुभव और अन्य पात्रता सम्बन्धी योग्यता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(3) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
6	नियम–4	उप–नियम–4.6	भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, निदेशक संकायाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता सम्बन्धी योग्यता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(4) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
7	नियम–4	उप–नियम–4.7	विश्वविद्यालय के सहायक पुस्कालयाध्यक्ष / पुस्तकालयाध्यक्ष / उप पुस्तकालयाध्यक्ष व महाविद्यालय के पुस्कालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(5) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
8	नियम–4	उप–नियम–4.8	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक (डीपीईएस) के पदो के लिए न्यूनतम अहर्ता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुभाग–4.8 के I/II/III & IV को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(6) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
9	नियम–5	उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1. कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3. वि0वि0 की विद्या परिषद / कार्यपरिषद द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4. संकाय का संकायाध्यक्ष, 5. सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष, 6. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्प संख्यक / महिला / निशक्त श्रेणी से	**8(क)(सात), (तेरह), (चौदह) तदनुसार संशोधित किया जाना है।**

Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)

			शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से सम्बन्धित नही हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।	
10	नियम–5	उप–नियम–5.1 IX शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के चयन हेतु प्रक्रिया	चयन समिति की प्रक्रिया तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	**8(क)(सात), (तेरह), (चौदह) तदनुसार संशोधित किया जाना है।**
11	नियम–5	उप–नियम–5.1 X शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के सीएएस, प्रोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन	सैक्शन 5.1 X में जो व्यवस्था की गयी है उसमे विश्वविद्यालय के लिए X 'क' की प्रक्रिया होगी। 5.1 के X के यथा प्रस्तावित 'क', 'ग', 'ड' को अंगीकृत किया जाता है। 5.1 के X के 'ख', 'घ', 'च' को गैर सरकारी/सरकारी के लिए अंगीकृत किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय के लिए 5.1 के X के 'ख', 'घ', 'च' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के अनुसार अंगीकृत किया जाता है। राजकीय महाविद्यालय को छोडकर उप नियम 5.2 की प्रक्रिया यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार होगी। राजकीय महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के सैक्शन 5.3 एवं 5.4 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	9(ख)(एक)**(अ) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
12	नियम–6	उप–नियम 6.0 चयन प्रक्रिया	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(7) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
13	नियम–6	मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि उप–नियम–6.1	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। बशर्ते राजकीय महाविद्यालय के प्रकरणों में उच्च शिक्षा निदेशालय/शासन स्तर पर प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के तहत निष्पादित किया जाय।	8(क)(सात)**(अ)(7)(1) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
14	नियम–6	उप–नियम–6.2–6.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(7)(2),(3),(4) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
15	नियम–7	उप–नियम–7.1, 7.2 सम कुलपति (Pro-Vice Chancellor) का चयन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	3(1)(ख) **(सोलह)** एवं 4(तीन)(ख)(b)**(चौदह) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**

Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)

16	नियम–7	उप–नियम–7.3 कुलपति का चयन	कुलपति के चयन प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाए किन्तु चयन समिति एवं सर्च कमेटी का गठन सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के तत्समयक प्रचलित एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा।	4(तीन)(ख)(a)(एक)**(स) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
17	नियम–8	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ।	सरकारी राजकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार हेगी।	12 (तीन)(ख) से (तीन)(छ) एवं 12 (पाँच) **तदनुसार संशोधित किये जाता है।**
18	नियम–9	शोध संवर्धन अनुदान	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।	3(3)(ख)**(छः) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
19	नियम–10	सी.ए.एस. के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	9(ख)(एक)**(ब) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
20	नियम–11	परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	9(क) (एक) **को तदनुसार यू.जी.सी. के नियम 11.1 से 11.5 तक की सीमा तक संशोधित किया जाता है।**
21	नियम–12	शिक्षकों के पदों का सृजन और उनको भरा जाना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	3(1)(ख)(चौदह) **(अ) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
22	नियम–13	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियाँ	संवेदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया / मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। गैस्ट फैकल्टी का प्रतिवादन रूपये 500 / – या समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।	8(क)(दस) **को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित सीमा तक अंगीकृत किया जाता है।**
23	नियम–14	शिक्षण के दिवस	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	3(2)(ख)(पाँच)**(अ) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
24	नियम–14	प्रावकाश उप–नियम–14.2 (प्रावकाश में 2 सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अर्जित अवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिनों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि, महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक तिहाई अवधि की छुट्टी दी जाएगी।)	जैसे कि राज्य सरकार के नियमों में शिक्षकों के लिए समय–समय पर लागू है।	3(2)(ख)(पाँच)(ख) **को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
25	नियम–15	कार्यभार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	8(क)(सात)**(अ)(7)(8) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
26	नियम–15	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपलब्धता उप–नियम–15.1	प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह में 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता होगी।	8(क)(सात)**(अ)(7)(8)(1) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
27	नियम–16	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	9(ख)(एक)**(स) तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
28	नियम–17	पेशेवर / प्रोफेशनल आचार संहिता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम	9(क)(एक) **(अ) को**

Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand5
University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)

			को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	**तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
29	नियम–18	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।	3(2)(ख)**(एक) को यू.जी.सी. 2018 के नियम 18 की सीमा तक अंगीकृत किया गया है।**
30	नियम–18	अनुदान उप –नियम–18.4	इन विनियमों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कम्प्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।	3(3)(ख)**(सात) को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।**
31	नियम–19	पीएचडी/ एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन उप–नियम–19.1	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।	9(क)**(ग्यारह)** को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
32	नियम–19	पदोन्नति उप–नियम–19.2	सरकारी विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।	4(ख)(b)(आठ) को **यूजीसी के विनियम 2018 निर्धारित नियमों की सीमा तक संशोधित किया जाता है।**
33	नियम–19	वेतन और भत्ते उप–नियम–19.3	भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।	9(क)(सात) **को राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप संशोधित किया जाता है।**

(कार्यवाही–कुलसचिव/ निदेशक कार्मिक)

Registrar
Member Secretary

Vice Chancellor
Chairman
Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Forestry
Bharsar, Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)

Agenda No: UUHF/AC/ 15/02: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

Agenda No: UUHF/AC/ 15/02(01): वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में अध्ययनरत छात्र राज विमल वर्मा, बी.एस.सी. वानिकी द्वितीय वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के आवेदन के क्रम में प्रथम सेमेस्टर हेतु विलम्ब से शुल्क जमा करने सम्बन्धी।

उपरोक्त छात्र द्वारा सेमेस्टर शुल्क विलम्ब से जमा करने हेतु कुलपति महोदय से अनुरोध किया था। छात्र हितों के मध्यनजर एवं छात्र द्वारा उल्लखित कारणों का संज्ञान लेते हुये कुलपति महोदय द्वारा विलम्ब से शुल्क जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आवेदन का संज्ञान लेते हुये एवं छात्र हितों के मध्यनजर परिषद द्वारा कुलपति द्वारा दी गई स्वीकृति पर संपुष्टि प्रदान की गई।

(कार्यवाही–अधिष्ठाता, रानीचौरी)

Agenda No: UUHF/AC/ 15/02(02): वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी सागर सिंह अभिज्ञान संख्या 19093 द्वारा उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु एवं उनके साथ मोटर साईकिल दुघर्टना के कारण पंचम सेमेस्टर हेतु समय से पंजीकरण नहीं कराये जाने के कारण विलम्ब से पंजीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

कुलपति महोदय के आदेश पर प्रकरण को विद्धत परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। छात्र की परिस्थितियों की मध्यनजर एवं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुये परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत छात्र को विलम्ब से पंजीकरण की स्वीकृति इस आशय के साथ प्रदान की कि परिस्थतियों के कारण प्रकरण को विशेष प्रकरण की सूची मे माना जाय एवं स्वीकृति को भविष्य मे नजीर की तरह नहीं उपयोग किया जाय।

(कार्यवाही–अधिष्ठाता, रानीचौरी)

Registrar
Member Secretary

Vice Chancellor
Chairman
Vice-Chancellor
Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand
University of Horticulture & Fore
Bharsar, Pauri Garhwal-246123 (Uttarakhand)